रमजान खॉ बनाम ईमामदीन

20-9-18

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 18–03–2015 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में उभय पक्षों के अधिवक्तागणों ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर व्यक्त किया गया कि प्रकरण में अपीलांट/वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 149 रकबा 17.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 163 रकबा 2.00 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 19.10 हेक्टर वाके रोही माणकसर तहसील नोखा में स्थित हैं उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के समान हित निहित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के हक व हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा उसके कब्जे काश्त की स्थिति तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन एवं लगान पृथ्ककरण के प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा इसी आदेश में अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 का काउन्टर क्लेम भी स्वीकार किया गया है। एसी स्थिति में अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना शेष नहीं रहा गया है। लिहाजा उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत उक्त अपील निष्प्रभावी होने के कारण इस अपील में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है।

विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 18–03–2015 के विरूद्व उक्त अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजों के अवलोकन से यह स्थिति सामने आई है कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र एवं काउण्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि के बाबत् वादीगण

Scanned by CamScanner

एवं प्रतिवादीगणों के हक व हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा उसके कब्जे काश्त की स्थिति तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन एवं लगान पृथ्ककरण के प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा इसी आदेश में अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 का काउन्टर क्लेम भी स्वीकार किया गया है। एसी स्थिति में अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना शेष नहीं रहा गया है।

अतः अपीलांट/रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वमेव कथन यिका गया है कि इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील निष्प्रभावी धोषित करते हुए खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner